न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (मुख्यालय), कोटा
पीठासीन अधिकारी– अतुल प्रकाश, आई॰ए॰एस॰ (प्रशिक्षु)

प्रकरण संख्या : 64/18

1 देवलाल आत्मज परसा, जाति बंजारा, निवासी ग्राम खेडा जगपुरा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

– (वादी)

बनाम

1 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, लाडपुरा, जिला कोटा – (प्रतिवादीगण)

वाद अन्तर्गत धारा 88,89,92ए,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति : श्री राजेन्द्र कुमार वर्मा, वादी अभिभाषक

दिनांक : 19.08.2019

निर्णय

1. यह वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89, 92ए, 188 के अन्तर्गत न्यायालय हाजा में प्रस्तुत किया गया है।
2. वादी द्वारा अपना वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि :–
   - वादी को आराजी खसरा नम्बर 6 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा वाके ग्राम उम्मेदपुरा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा पर विगत कई वर्षो से कब्जा होने के कारण वादी को उक्त भूमि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 15.05.1981 को आवंटित की गई थी और उक्त भूमि पर वादी को कब्जा भी दे दिया गया था। इसके पश्चात वादी का नाम उक्त भूमि पर इन्तकाल नं. 83 दिनांक 30.06.1981 को उक्त आराजीयात पर वादी के नाम गैर खातेदारी में भी दर्ज किया जा चुका था, इसके पश्चात राजस्व रिकार्ड में उक्त इन्तकाल का इन्द्राज राजस्व जमाबन्दी संवत 2034–2057 में दर्ज है और उक्त भूमि पर वादी काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। उक्त आवंटन पत्र के प्रोसीडिंग रजिस्टर की छायाप्रति भी वादी द्वारा न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की गई है। उक्त खसरा नम्बर 6 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा, जिसके हाल खसरा नम्बर 4 रकबा 0.89 हैक्टर कायम किया गया, इसमें से वादी का हिस्सा 0.41 हैक्टर है। उक्त भूमि के आवंटन का पट्टा भी उप जिलाधीश, कोटा द्वारा वादी के पक्ष में जारी किया गया था और वादी को उक्त भूमि गैरखातेदारी दर्ज की जा चुकी थी। उसके पश्चात उक्त भूमि को विधिक प्रक्रिया के तहत खातेदारी दर्ज नहीं की गई और यही मुख्य वाद का कारण है।
   - वादी को वैध रूप से आवंटित भूमि, जो वादी के गैरखातेदारी में दर्ज की गई थी, जिसका इंतका नं. 352 के आधार पर आराजी खसरा नम्बर 322/4 रकबा 0.39 हैक्टर वाके ग्राम उम्मेदपुरा, पटवार हल्का आलनिया, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा को खातेदारी अधिकार प्रदान किये जाने चाहिये थे तथा इसी सन्दर्भ में राजस्व मण्डल द्वारा समय समय पर उक्त गैर खातेदारी से खातेदारी करने के अधिकार प्रदान किये गये है, इनके बावजूद भी तहसीलदार, लाडपुरा द्वारा प्रार्थी को खातेदारी दर्ज करने में टालमटोल किया जा रहा है। इस कारण से उक्त वाद दुरूस्ती करवाकर वादी की खातेदारी में दर्ज किये जाने हेतु न्यायालय हाजा में प्रस्तुत करने के लिये बाध्य होना पडा है।
   - इसके समर्थन में वादी द्वारा नजीरात प्रस्तुत है, जिसमें राजस्व मण्डल व राजस्थान उच्च

Scanned by CamScanner

न्यायालय द्वारा निम्न सिद्धान्त प्रतिपादित करते हुये उक्त आवंटन भूमि तीन वर्ष के पश्चात स्वतः ही खातेदारी अधिकार 1970 नियम 18 के तहत तहसीलदार का यह कर्तव्य है कि वह उस भूमि को खातेदारी में परिवर्तित किया जाना चाहिये, अगर उक्त भूमि का विधिवत आवंटन हुआ है और उक्त भूमि वादी के कब्जे काश्त में है, उस भूमि पर खातेदारी अधिकार दिये जा सकते है। इसके समर्थन में आर.आर.टी 2014(2) पेज 1220, आर.आर.टी 2015(1) पेज 200, आर.आर.टी 2016(1) पेज 559 तके उल्लेखित किया गया है और उक्त भूमि का पटवारी हल्का के सुरतीकरण (लापरवाही) के कारण भू राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज नहीं किया गया है तो भी उसका इन्द्राज किया जाना चाहिये क्योंकि वादी के गैरखातेदारी भूमि को दुरूस्तीकरण किये जाने हेतु वाद न्यायालय द्वारा स्वीकार करते हुये उक्त वाद में सेटलमेन्ट से पूर्व की स्थिति को बहाल करते हुये उक्त वाद स्वीकार किया गया था क्योंकि वादी का आवंटन पत्र दिनांक 15.05.1981 को एवं दिनांक 30.06.1981 को गैरखातेदारी में दर्ज होने के बावजूद सेटलमेन्ट विभाग द्वारा विलोपित करते हुये सिवायचक की गई थी, जिसको न्यायालय ने दुरूस्त करते हुये पुनः पूर्व की स्थिति बहाल करते हुये आदेश पारित किया गया था।

- उक्त भूमि पर वादी आवंटन के समय से आज तक काबिज काश्त है जो हाल व पूर्व के खसरा टीपों से प्रमाणित है और उक्त भूमि पर 38 वर्षो से वादी काबिज काश्त है, उक्त भूमि को गैर खातेदारी से विलोपित करते हुये खातेदारी अधिकार दिये जाने चाहिये जिसका उल्लेख राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा समय समय पर पारित आदेशों में किया गया है।
- अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी को वैध रूप से आवंटित भूमि आराजी गत खसरा नम्बर 322/4 रकबा 0.39 हैक्टर वाके ग्राम उम्मेदपुरा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा की भूमि को खातेदारी में दर्ज किये जाने हेतु तहसीलदार, लाडपुरा को यथोचित निर्देशन देने की कृपा करें।
- वादी द्वारा अपने कथन के समर्थन में ग्राम उम्मेदपुरा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा से सम्बन्धित निम्नांकित राजस्व दस्तावेज पेश किये गये –

प्रदर्श–1	खसरा नं. 322/4 की नकल जमाबन्दी, संवत 2070–2073
प्रदर्श–2	नामान्तरकरण संख्या 83 की नामान्तरकरण पंजिका की नकल।
प्रदर्श–3	खसरा नं. 6 की नकल जमाबन्दी, संवत 2034–2037
प्रदर्श–4	मिलान क्षैत्रफल खसरा नम्बर 6, संवत 2038–2057
प्रदर्श–5	भू प्रबन्ध की नकल जमाबन्दी, संवत 2038–2057
प्रदर्श–6–10	खसरा परिवर्तित निर्धारण संवत 2053, 2054, 2068, 2069
प्रदर्श–11–12	खसरा गिरदावरी संवत 2070, 2023–2026
प्रदर्श–13	धारा 91 का नोटिस संवत 2035
प्रदर्श–14–22	धारा 91 के नोटिसों के जुर्माने की रसीदें
प्रदर्श–23	आराजी की आवंटन पत्र दिनांक 15.05.1981

3. न्यायालय में पेश वाद में प्रतिवादी की तलवी हेतु सम्मन जारी किये गये जो बाद तामील प्राप्त हुये। इसके उपरान्त लगातार इंतजार किये जाने के बावजूद भी प्रतिवादीगण के उपस्थित नहीं होने पर आदेश 5 नियम 9(5) सीपीसी के अनुसार सम्यक तामील की घोषणा होने पर आदेश 9 नियम 6[1](क) सीपीसी के अनुसार प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण में प्रतिवादी की ओर से कोई जवाब दावा पेश नहीं होने

Scanned by CamScanner

के कारण प्रकरण में तनकीयात कायम नहीं की गई।

4. वादी की ओर से साक्ष्य का शपथ पत्र पेश किया गया। तदुपरान्त प्रकरण पर वादी अभिभाषक की बहस अन्तिम सुनी गई। वादी वकील द्वारा अपनी बहस में वाद पत्र के कथनों को दोहराते हुये निवेदन किया कि वादी को उक्त विवादित आराजी का दिनांक 15.05.1981 को आवंटन हो चुका था। उक्त आवंटन के आधार पर ही उक्त आराजी को वादी की गैरखातेदारी में दर्ज किया गया। इसी अनुक्रम में नियमानुसार अवधि पूर्ण हो जाने पर विवादित आराजी वादी की खातेदारी में दर्ज की जानी चाहिये थी, जो कि राजस्व कार्मिकों द्वारा नहीं की गई। इसी कारण के वादी को अनावश्यक रूप से परेशानी का सामना करना पडा तथा वाद के माध्यम से खातेदारी चाही गई है। अतः वादी को विवादित आराजी का खातेदार घोस्रित किये जाने के आदेश प्रदान करावे। वादी अभिभाषक द्वारा अपने कथनों की पुनरावर्ती स्वरूप प्रकरण की लिखित बहस भी पेश की गई है।

5. हमने वादी अभिभाषक की, प्रकरण पर सुनी गई बहस अन्तिम के कथनों पर मनन किया और पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का आद्योपान्त अवलोकन अध्ययन किया। जिससे हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि वादी को विवादित आराजी का आवंटन हुआ है तथा उक्त आवंटन के आधार पर ही ग्राम उम्मेदपुरा, पटवार हल्का आलनिया, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा की विवादित आराजी के वर्तमान खसरा नम्बर 322/4 रकबा 0.39 को वादी की गैरखातेदारी में दर्ज किया गया है। वादी द्वारा इसी विवादित आराजी पर खातेदारी प्रदान किये जाने सम्बन्धी अनुतोष चाहा गया है। इसी क्रम में समय समय पर जारी नियमों/अधिनियमों/परिपत्रों के अवलोकन/अध्ययन के अनुसार राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1950 (राजस्थान अधिनियम संख्या 35, सन् 1959) की धारा 3 की उपधारा (1) सपठित धारा 2 की उपधारा (1) के बिन्दु संख्या (10) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये संयुक्त शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर के आदेश क्रमांक : प. 10(3)नविवि/80पार्ट–1 दिनांक 04.09.2013 के क्रम संख्या 104 पर अंकित राजस्व ग्राम उम्मेदपुरा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा को नगरीय क्षैत्र में सम्मिलित किये जाने के आदेश प्रदान किये गये है। इस प्रकार स्पष्ट है कि विवादित आराजी पर वादी को खातेदारी अधिकार प्रदान करने हेतु यह राजस्व न्यायालय सक्षम नहीं है।

6. अतः प्रकरण का उसके गुणावगुण के आधार पर मनन करने पर प्रकरण की विवादित राजस्व आराजी वर्तमान में नगरीय क्षैत्र में होने से उस पर खातेदारी प्रदान किये जाने हेतु इस न्यायालय की अधिकारिता नहीं होने के कारण वाद वादी अस्वीकार कर खारिज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। डिक्री पर्चा पृथक से जारी किया गया।

7. यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 19 अगस्त, 2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

Atulprakash 19/08/19.

(अतुल प्रकाश)
आई.ए.एस. (प्रशिक्षु)
सहायक कलक्टर, कोटा

Scanned by CamScanner

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारी– अतुल प्रकाश, I.A.S. (P)

बजनवान :–

1 देवलाल आत्मज परसा, जाति बंजारा, निवासी ग्राम खेडा जगपुरा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

– (वादी)

बनाम

1 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, लाडपुरा, जिला कोटा

– (प्रतिवादीगण)

दावा बाबत : 88, 89, 92A, 188 RTA
मुकदमा नम्बर : 64 / 18
निर्णय दिनांक : 19-08-2019

न्यायालय हाजा में वादीगण की ओर से वादी अभिभाषक श्री राजेन्द्र कुमार वर्मा की उपस्थिति में वाद पत्र की बहस अन्तिम सुनने के बाद आज तारीख 19–08–2019 को (डिक्रीदार) पीठासीन अधिकारी श्री अतुल प्रकाश, आई.ए.एस. (प्रशिक्षु) के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर प्रकरण का उसके गुणावगुण के आधार पर मनन करने पर प्रकरण की विवादित राजस्व आराजी वर्तमान में नगरीय क्षैत्र में होने से उस पर खातेदारी प्रदान किये जाने हेतु इस न्यायालय की अधिकारिता नहीं होने के कारण वाद वादी अस्वीकार कर खारिज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। डिक्री पर्चा पृथक से जारी किया गया।

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।

यह डिक्री आज तारीख 19.08.2019 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

Atulprakash 19/08/19

(अतुल प्रकाश)
आई.ए.एस. (प्रशिक्षु)
सहायक कलक्टर, कोटा

वाद के खर्चे

वादी			प्रतिवादी		
1.	वाद पत्र के लिये स्टाम्प	रूपया	1.	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	रूपया
2.	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प		2.	अर्जी के लिये स्टाम्प	
3.	अदर्शो के लिये स्टाम्प		3.	प्लीडर के लिये फीस	
4.	..... रूपये पर प्लीडर की फीस		4.	साक्षियों के लिये निर्वाह–व्यय	
5.	साक्षियों के लिये निर्वाह–व्यय		5.	आदेशिका की तामिल	
6.	कमिश्नर की फीस आदेशिका की तामिल		6.	कमिश्नर की फीस	
जोड			जोड		

Scanned by CamScanner